गोण्डा

दिनांक–17.02.2021 को आयुक्त देवीपाटन मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित कर–करेत्तर राजस्व व समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक–17.02.2021 को कर–करेत्तर राजस्व कार्यो की निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राप्त विवरण के आधार पर निम्नांकित उपस्थित अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई,जो निम्नवत् है:–

उपस्थित अधिकारी:–

1. श्रीमती श्रुति, जिलाधिकारी, बलरामपुर।
2. श्री शम्भु कुमार,जिलाधिकारी, बहराइच।
3. श्री राजितराम प्रजापति, मुख्य राजस्व अधिकारी,गोण्डा।
4. श्री जगदीप यादव, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी,गोण्डा/बलरामपुर।
5. श्री सोमनाथ वर्मा, बन्दोबस्त अधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती।

1.वाणिज्य कर:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 84.47 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा 52.92, बलरामपुर में 58.02, बहराइच में 81.96 एवं श्रावस्ती मे 64.18 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। इ प्रकार मण्डल मे कुल राजस्व प्राप्ति 56.36 प्रतिशत है। मण्डल के सभी जनपदो में निर्धारित मानक से क राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नहीं है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा है कि इस म में लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

2.स्टाम्प रजिस्ट्रेशन:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 83.17 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा 63.38, बलरामपुर में 61.82, बहराइच में 63.39, एवं श्रावस्ती में 65.72 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। इ प्रकार मण्डल की कुल राजस्व प्राप्ति 63.25 प्रतिशत है। मण्डल के सभी जनपदो में निर्धारित मानक कम राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नहीं है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है f इस मद में लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

3.आबकारी:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 80.37 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा 63.73, बलरामपुर में 58.85, बहराइच में 59.74 एवं श्रावस्ती में 62.94 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है, र निर्धारित मानक से कम होने के कारण संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा कि इस मद में निर्धारित मानक के अनुसार राजस्व प्राप्ति शतप्रतिशत सुनिश्चित कराये।

1360

4.बैंक देय वसूली:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 80.97 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष मण्डल स्तर पर कु 60.34 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। जनपद गोण्डा में 49.53, बलरामपुर में 83.26, बहराइच में 84.86 ए श्रावस्ती में 28.76 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारि से अपेक्षा है कि भविष्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति हेतु विशेष ध्यान दिर जाना सुनिश्चित करें।

5.विद्युत देय:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 75.50 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा 71.49, बलरामपुर में 58.12, बहराइच में 80.94 एवं श्रावस्ती में 52.58 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। ज निर्धारित मानक से कम होने के कारण संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा कि इस मद में निर्धारित मानक के अनुसार राजस्व प्राप्ति शतप्रतिशत सुनिश्चित कराये।

6.परिवहन विभाग:–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 83.24 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष मण्डल स्तर पर कु 44.70 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। जनपद गोण्डा में 46.01, बलरामपुर में 42.95, बहराइच में 43.85 ए श्रावस्ती में 46.91 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। मण्डल के समस्त जनपदों में निर्धारित मानक से क राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा है कि इस म में निर्धारित मानक के अनुसार शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

7.नजूल भूमि :–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 81.40 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा एव बहराइच में राजस्व प्राप्ति शून्य है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के जिलाधिकारी गोण्डा एवं बहराइच से अपेक्षा है कि भविष्य में लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती में नजूल भूमि उपलब्ध नही है।

8.वनः–

इस मद में माह जनवरी 2021 का मानक 75.61 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा में 25.16, बलरामपुर में 58.60, बहराइच में 46.80 एवं श्रावस्ती में 45.58 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुयी है। मण्डल के सभी जनपदों में निर्धारित मानक से कम राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नहीं है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा है कि इस मद में प्रयास करके लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

9.अलौह खननः–

इस मद में माह जनवरी 2021 मे मानक 78.40 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष जनपद गोण्डा में 22.33 बलरामपुर में 48.00 बहराइच में 29.71 व श्रावस्ती में 30.87 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है। मण्डल के समस्त जनपदों में निर्धारित मानक से कम राजस्व प्राप्ति हुई है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा है कि इस मद में प्रयास करके लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

10.जनहित गारंटी अधिनियम, 2011

इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद तथा परिवहन विभाग के अन्तर्गत माह जनवरी 2021 तक 191600 आवेदन पत्र निस्तारण हेतु अवशेष थे, जिसमें से 155449 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है एवं निस्तारण हेतु समयान्तर्गत अवशेष प्रार्थना पत्रों की संख्या 34204 है तथा समयोपरान्त निस्तारण हेतु प्रार्थनापत्रों की संख्या जनपद गोण्डा में 46, बलरामपुर में 1715 एवं श्रावस्ती में 186 है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अवशेष आवेदन पत्रों का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित करायें।

11.जनहित गारंटी अधिनियम, 2011(अपीलीय प्रकरण)

इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद तथा परिवहन विभाग में कोई भी अपीलीय प्रकरण अवशेष नही है, जो संतोषजनक है।

12.प्रपत्र संख्या–1(अ) (2 अ) जनपद के समस्त न्यायालयों में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम व राजस्व संहिता की धाराओं के अन्तर्गत प्रचलित वादों के निस्तारण का विवरण।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस नक्शें में लम्बित एवं निस्तारित वादों को सही नही दर्शाया गया है।

13.राजस्व संहिता के अन्तर्गत एक भी वाद नहीं दर्शाया गया है।

राजस्व संहिता–2006, भू–राजस्व अधिनियम व जेड0ए0एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत वादो की स्थिति को सही–सही दर्शाया जाय। यदि इस सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो वहां से सम्पर्क कर कार्यवाही की जाय। मा0 परिषद के पोटर्ल पर दर्ज वादों में व नक्शे में दिखाये जा रहे वादों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

14.प्रपत्र संख्या–2(अ)–1 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व परिषद उ0प्र0 के न्यायालयों में पत्रावलियों का अधियाचन।

मण्डल के सभी जनपदों में सम्बन्धित न्यायालयों में शतप्रतिशत पत्रावलियां प्रेषित की गयी है, जो संतोषजनक है।

15.प्रपत्र संख्या–2(अ) 2 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व परिषद उ0प्र0 के न्यायालयों में पत्रावलियों का अधियाचन।

मण्डल के जनपद बहराइच में 01 पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु अवशेष है। मण्डल के शेष जनपदों में सम्बन्धित न्यायालयों में शतप्रतिशत पत्रावलियां प्रेषित की गयी है, जो संतोषजनक है।

16.प्रपत्र संख्या–3(अ) सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा तालाब, चारागाह व शमशान आदि पर से अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत प्रचलित वाद के निस्तारण का विवरण।

3

इस अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण हेतु सबसे अधिक 3044 वाद जनपद गोण्डा मे अवशेष है इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में 966, बहराइच में 1830 एवं श्रावस्ती में 568 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। आलोच्य माह तक जनपद गोण्डा में लम्बित 3044 वादों के सापेक्ष शून्य बलरामपुर में 971 के सापेक्ष 05 बहराइच में 1849 के सापेक्ष 18 तथा श्रावस्ती 592 के सापेक्ष 24 वादो का निस्तारण किया गया है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष घ्यान देना सुनिश्चित करे।

17.प्रपत्र संख्या–3(ब) सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा तालाब, चारागाह व शमशान आदि पर अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में उ0प्र0ज0वि0अधि0 की धारा–122 बी अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निष्पादन हेतु सर्वाधिक अवशेष वाद जनपद गोण्डा में 1086 है। इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में 385, बहराइच में 1098 एवं श्रावस्ती में 576 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि निष्पादन हेतु लम्बित अवशेष वादों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित कराये।

18.प्रपत्र संख्या–4(अ) जनपद में समस्त न्यायालयों में कार्यरत पीठसीन अधिकारियो द्वारा मानक के अनुसार वादो के निस्तारण की स्थिति:–

देवीपाटन मण्डल में राजस्व न्यायालयों की संख्या 106 है, जिसमें से 68 पीठासीन अधिकारी कार्यरत है और 38 न्यायालय रिक्त है। आलोच्य माह में मानक से कम निस्तारण करने वाले मण्डल के पीठासीन अधिकारियों की संख्या–11 है तथा आलोच्य माह तक मानक से कम निस्तारण करने वाले पीठासीन अधिकारियों की संख्या–06 है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि वह अपने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करे कि मानक के अनुरूप निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

19.प्रपत्र संख्या–5(अ) राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोटर्ल पर जनपद के समस्त न्यायालयों में पंजीकृत वादो का विवरण:–

मण्डल के सभी जनपदों में राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोटर्ल पर कुल वादो की संख्या–877396 है, जिसमें 764719 वाद निस्तारित किये गये है, जो पोर्टल पर अपलोड है।

20.प्रपत्र संख्या–7 मुख्य देय की मांग/वसूली का विवरण(धनराशि करोड रू0 मे):–

इस मद में माह जनवरी 2021 तक का मानक 30.00 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष वसूली का प्रतिशत जनपद गोण्डा में 100.00, बलरामपुर में 58.33, बहराइच में 90.91 एवं श्रावस्ती में 80.00 है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियेां से अपेक्षा है कि भविष्य मे निर्धारित मानक के अनुरुप राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

21.प्रपत्र संख्या–8 विविध देय की मांग/वसूली का विवरण(धनराशि करोड रू0 मे):–

इस मद मे माह जनवरी 2021 तक का मानक 80.00 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष वसूली का प्रतिशत जनपद गोण्डा में 48.41, बलरामपुर में 49.29, बहराइच 80.76 एवं श्रावस्ती 23.00 है। जनपद बहराइच को छोडकर मण्डल के शेष जनपदों में निर्धारित मानक से कम राजस्व प्राप्ति हुयी है, जो संतोषजनक नहीं है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि भविष्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

22.प्रपत्र संख्या–10(अ)–1 गावं सभा कृषि भूमि आवंटन की प्रगति की स्थिति:–

इस मद में मण्डल में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन का प्रतिशत जनपद गोण्डा में 89.81, बलरामपुर में 108.25, बहराइच में 246.12 एवं श्रावस्ती में 322.00 है। जनपद गोण्डा में आवंटन का प्रतिशत 89.81 है। जिलाधिकारी गोण्डा से अपेक्षा है कि लक्ष्य के अनुरुप शतप्रतिशत आवंटन सुनिश्चित कराये।

23.प्रपत्र संख्या–10(ब)–1 आवास स्थल आवंटन की प्रगति की स्थिति:–

इस मद में मण्डल में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन का प्रतिशत जनपद गोण्डा 120.24, बलरामपुर में 130.00, बहराइच में 149.51 एवं श्रावस्ती में 146.00 प्रतिशत आवंटन हुआ जो संतोषजनक है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियो से अपेक्षा है कि भविष्य मे भी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत आवंटन सुनिश्चित कराये।

24.प्रपत्र संख्या–10(स)–1 मत्स्य पालन आवंटन की प्रगति की स्थिति:–

इस मद में मण्डल में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन का प्रतिशत जनपद गोण्ड में 103.54, बलरामपुर में 236.84 बहराइच में 158.78 एवं श्रावस्ती में 79.49 है। जनपद श्रावस्ती में आवंट का प्रतिशत 79.49 है। जिलाधिकारी श्रावस्ती से अपेक्षा है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिश आवंटन सुनिश्चित कराये।

25.प्रपत्र संख्या–10(द)–1 कुम्हारी कला हेतु क्षेत्र के आवंटन की प्रगति की प्रगति की स्थितिः–

इस मद में मण्डल में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन का प्रतिशत जनपद गोण्ड में शून्य, बलरामपुर में 20.00, बहराइच में 152.00 एवं श्रावस्ती में 140.00 है। जनपद गोण्डा में आवंटन व प्रतिशत शून्य है एवं बलरामपुर में आवंटन का प्रतिशत 20.00 है। जिलाधिकारी गोण्डा एवं बलरामपुर अपेक्षा है कि लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत आवंटन सुनिश्चित कराये।

26.प्रपत्र संख्या–10(ड)–1 वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन की प्रगति की स्थितिः–

इस मद में मण्डल में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन का प्रतिशत जनपद गोण्ड में 147.30, बलरामपुर में 86.30, बहराइच में 168.05 एवं श्रावस्ती में शून्य है। जनपद बलरामपुर में आवंट का प्रतिशत 86.30 एवं श्रावस्ती का आंवटन का प्रतिशत शून्य है। जिलाधिकारी बलरामपुर एवं श्रावस्ती अपेक्षा है कि लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत आवंटन सुनिश्चित कराये।

27.प्रपत्र संख्या–11 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33 ए अन्तर्गत अविवादित वरासत दर्ज करने की प्रग की स्थितिः–

इस अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल में अविवादित वरासत दर्ज करने हेतु 4753 ग्रामों में आलोच माह तक वरासत दर्ज होने योग्य पाये गये मामलों की संख्या–137311 है, जिसमें 117712 मामलो वरासत दर्ज की गयी है। जनपद श्रावस्ती में दर्ज करने योग्य मामलो 64123 में 60248 मामलों में वरासत दर्ज की गयी है। जिलाधिकारी श्रावस्ती से अपेक्षा है कि अवशेष मामलों में नियमानुसार वरास दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

28.प्रपत्र संख्या–14(अ) खसरा (प0क0–3) तैयारी का विवरणः–

मण्डल में 4760 राजस्व ग्राम है, जिसमे से चालू कृषि वर्ष में 4659 ग्रामों का खसरा तैयार किर गया। चकबन्दी क्रियाओं में स्थित ग्रामों की संख्या–101 है।

29.प्रपत्र संख्या–14(ब) खसरा (प0क0–3) फसलों का विवरण पत्र तैयारी का विवरणः–

इस मद में खरीफ जिंसवार एवं रवी जिंसवार तथा जायद जिंसवार में जनपद बहराइच को छोडक मण्डल के शेष जनपदों में शतप्रतिशत ग्रामों का पडताल पूर्ण दर्शाया गया है, तथा जनपद बहराइच में र जिंसवार व जायद जिंसवार में सभी ग्रामो में पडताल शून्य दर्शाया गया है। जिलाधिकारी बहराइच अपेक्षा है कि यदि ग्रामों का पड़ताल किया गया हो, तो नक्शे में ग्रामों की संख्या दर्शाने हेतु सम्बन्धित व निर्देशित करने का कष्ट करें।

30.प्रपत्र संख्या–14(स) खसरा व खतौनी के आधार पर मिलान खसरा व नक्शा नवैय्यत विवरण पत्र तैया का विवरणः–

इस मद में मण्डल के सभी जनपदों में मिलान खसरा एवं नक्शा नवैय्यत के प्रेषण की तिथि अंकित है, जो संतोषजनक है।

31.प्रपत्र संख्या–15 निर्माणाधीन राजस्व भवनो के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थितिः–

इस मद में मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों अपेक्षा है कि पूर्ण कार्यो का उपयोगिता प्रमाण प तत्काल भिजवायें।

32.प्रपत्र संख्या–16 तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का माहवार विवरण।

मण्डल के जनपदों में तहसील दिवसो मे प्राप्त शिकायतों में माह के अन्त तक जनपद गोण्डा 254, बलरामपुर में 29, बहराइच में 66, श्रावस्ती में 57 प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष है। मण्डल के समस जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निस्तारण करा सुनिश्चित कराये।

33.प्रपत्र संख्या–17(अ) तहसील व जनपद स्तर पर लम्बित विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण क विवरणः–

मण्डल के जनपदों में लम्बित अवशेष विभागीय कार्यवाहियों की संख्या जनपद गोण्डा 1 बलरामपुर में 01, बहराइच में 04 एवं श्रावस्ती में 21 है। इस प्रकार मण्डल में कुल 44 विभागी कार्यवाहियां अवशेष है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अवशेष विभागीय कार्यवाहि को शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

34.प्रपत्र संख्या–18 आन्तरिक लेखा परीक्षण राजस्व परिषद उ0प्र0 की लम्बित आडिट आपत्तियों निस्तारण की स्थितिः–

आन्तरिक लेखा परीक्षण राजस्व परिषद उ0प्र0 की आलोच्य माह तक मण्डल मे लम्बित कु आडिट आपत्तियों की संख्या–1863 के सापेक्ष 49 आडिट आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। जनप गोण्डा में 594, बलरामपुर 642, बहराइच में 428 एवं श्रावस्ती में 150 आडिट आपत्तियॉ निस्तारण हे अवशेष है। इस प्रकार मण्डल में 1814 आडिट आपत्तियां अनिस्तारित है। मण्डल के समस जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अवशेष आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करा सुनिश्चित करे।

35.प्रपत्र संख्या–19 कृषक दुर्घटना बीमा योजना की प्रगति की स्थितिः–

कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आलोच्य माह तक मण्डल में कुल 299 स्वीकृत दावों में 23 दा का भुगतान किया गया है। तीन माह से अधिक स्वीकृत हेतु अवशेष दावों की संख्या शून्य है। मण्डल समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि प्राप्त दावों के सम्बन्ध में जिला समिति की बैठक कराक निस्तारण सुनिश्चित करायें।

36.चकबन्दी विभागः–

मण्डल के समस्त जनपदो में वादो के (आपत्ति, अपील एवं निगरानी) निस्तारण का प्रतिश निर्धारित मानक से कम है, जो संतोषजनक नही है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अपने स्तर से उप संचालक चकबन्दी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित करे कि वे मानक अनुरूप वादो का निस्तारण सुनिश्चित करे।

37.सीलिग वादों का निस्तारणः–

मण्डल में नियत प्राधिकारी के स्तर पर माह के अन्त में जनपद गोण्डा में 08, बलरामपुर में शू बहराइच में 02 एवं जनपद श्रावस्ती में 03 वाद अवशेष है। इन वादों में कुल 308.488 एकड़ क्षेत्रफ विवादित है साथ ही मा0 उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में कुल 274 वाद विचाराधीन है, जिसमें जनपद बहराइच के सर्वाधिक 126 वाद लम्बित है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कृपया इन लम्बित वादों को दिखवा लें कि सरकार की तरफ से प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल हो चुके अथवा नही?

38.मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने की स्थिति।

जनपद गोण्डा में लम्बित कुल 249 रिट याचिकाओं में 242 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल कि गये है अभी 07 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। इसी प्रकार जन बलरामपुर में लम्बित 98 रिट याचिकाओं में 09 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये गये है अ 89 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। जनपद बहराइच लम्बित 692 याचिकाओं में 683 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये गये है अभी 09 रिट याचिकाओं प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। जनपद श्रावस्ती लम्बित 462 रिट याचिकाओं में 428 याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये गये है अभी 34 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल कि जाना अवशेष है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अवशेष लम्बित रिट याचिकाओं प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करे।

39.भू–माफियाओं तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो का विवरण।

मण्डल के जनपदो में माह जरवरी 2021 तक कुल 9614 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें शतप्रतिश शिकायतें अन्तरित की गयी, उसमें 1030 शिकायतें गलत पायी गयी, 389 शिकायतें न्यायालय में विचारा है, 57 शिकायतें समझौतें के आधार पर निस्तारित की गयी, हटाये गये अतिक्रमण/विधिक कार्यवाहियों संख्या–8098 है एवं कुल निस्तारित शिकायतों की संख्या–8735 है तथा 969 राजस्व वाद एवं 18 सिवि वाद दर्ज करायें गयें एवं दर्ज एफ0आई0आर0 की संख्या–202 है अभी 50 मामले निस्तारण हेतु अवशेष

6

मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि कृपया अवशेष शिकायतों का निस्तारण तत्परता सुनिश्चित करायें।

40.मैप डिजिटाईजेशन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा।

मण्डल के जनपदों में सत्यापित स्कैण्ड मैपशीटस 5775 है, जिसमें डिजिटाईज्ड मैप शीट्स संख्या–5214, उसमें खतौनी से लिक्ड ग्राम व मैप शीट्स की संख्या–5141 है। जनपदो द्वारा सत्या[illegible] डिजिटाईज्ड मैपशीट्स के एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय प्रिंट आउट की संख्या–5119 मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि कृपया अवशेष मैपशीटस का डिजिटाईजेशन/सत्या[illegible] किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

41.शासन/राजस्व परिषद के स्तर (आई0जी0आर0एस0) पर लम्बित शिकायतों का विवरण।

माह जनवरी 2021 तक शासन/राजस्व परिषद के स्तर (आई0जी0आर0एस0) से प्राप्त कुल ल[illegible] शिकायते जनपद गोण्डा में 199004 के सापेक्ष 195454 शिकायतों का निस्तारण किया गया है इसी प्र[illegible] जनपद बलरामपुर में 26299 के सापेक्ष 25636, बहराइच में 62488 के सापेक्ष 61875 एवं श्रावस्ती में 28[illegible] के सापेक्ष 27480 शिकायतो का निस्तारण हुआ है। जनपद गोण्डा में सर्वाधिक अवशेष शिकायतें संख्या–3550 है। इसी प्रकार बलरामपुर में 663, बहराइच में 613 एवं श्रावस्ती में 602 शिकायतें निस्ता[illegible] हेतु अवशेष है। मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि कृपया अवशेष शिकायतों का निस्ता[illegible] तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करायें।

(एस0वी0एस0रंगाराव)
आयुक्त
देवीपाटन मण्डल,गोण्[illegible]

कार्यालय आयुक्त,देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

दिनांकः 19 फरवरी, 202[illegible]

संख्याः 1289/आर0ए0(राजस्व कार्य बैठक)/2021

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित [illegible] संसूचित करते हुये अनुपा[illegible] सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक निर्देश के साथ आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गोण्डा को कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
देवीपाटन मण्डल,गोण्[illegible]

KARVITI